

कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल ग्वालियर

सेन्ट्रल नर्सरी, केप्टन रूप सिंह स्टेडियम के पास, सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म0प्र0)

Phone : 0751-2341166, Fax : 0751-2341166, E-Mail : dfotgwa@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./24/3162
प्रति,

ग्वालियर, दिनांक 10/06/2024

मुख्य वन संरक्षक
ग्वालियर वृत्त, ग्वालियर

विषय- ग्वालियर जिले में वेस्टर्न बायपास के निर्माण हेतु 42.83 हेक्टेयर वनभूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ग्वालियर को उपयोग पर देने बावत्।

(Proposal No.: FP/MP/ROAD/149532/2021)

- संदर्भ- 1-भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय भोपाल का पत्र क्रमांक 6-एम.पी. आर./015/2022-बी.एच.ओ./69018 दिनांक 02.04.2024
2-अपर प्रधान मुख्य, वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ-5/1121 /2022/10-11/1955 दिनांक 08.04.2024
3-आपका पत्र क्रमांक/मा.चि./24/1631 दिनांक 19.04.2024
4-आवेदक विभाग भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ग्वालियर का पत्र क्रमांक/20019/01 /2018-वेस्टर्न बायपास/13411 दिनांक 22.05.2024

विषयांकित प्रकरण में निवेदन है कि अपर प्रधान मुख्य, वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक/एफ-5/1121 /2022/10-11/1955 दिनांक 08.04.2024 के संलग्न उपर्युक्त प्रकरण में भारत सरकार द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक-1 से 02 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। उक्त जानकारी के संबंध में आवेदक विभाग, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ग्वालियर द्वारा पत्र क्रमांक/20019 /01/2018-वेस्टर्न बायपास/13411 दिनांक 22.05.2024 के संलग्न कार्यपालन यंत्री, साडा (काउण्टर मैनेट) ग्वालियर का पत्र क्रमांक/विक्षेविप्र/2024/152 दिनांक 18.04.2024 इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि SADA द्वारा पश्चिम बायपास सड़क का 0 कि.मी. से 15.600 कि.मी. तक भाग का निर्माण कार्य वर्ष 2002 से 2005 के बीच पूर्ण किया गया था। उक्त सड़क में आने वाली भूमि निजी एवं शासकीय भूमि (गैर वन भूमि) होने के कारण वन विभाग की अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ी।

अतः उपरोक्तानुसार भारत सरकार द्वारा चाही गई 02 बिन्दुओं की जानकारी का बिन्दुवार विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	भारत सरकार द्वारा चाही गई जानकारी	की गई पूर्ति
1	It is reported that the SADA (Special Area Development Authority) has constructed a part of road involving area of around 0.6 ha. after 1980. The documentary evidence of construction of road shall be submitted.	उपरोक्त बिन्दु के संबंध में कार्यपालन यंत्री, साडा (काउण्टर मैनेट) ग्वालियर द्वारा पत्र क्रमांक /विक्षेविप्र/2024/152 दिनांक 18.04.2024 से प्रेषित की गई जानकारी परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।
2	The concerned DFO shall submit Action Taken Report for violation of FCA, 1980 against the responsible person after determining the type of violation as per guideline para 1.16 of the Handbook.	SADA द्वारा वर्ष 2002 से 2005 के बीच निर्माण की गई सड़क का प्रस्तावित भाग आरक्षित वन खण्ड कुलैथ एवं थर की बाहरी सीमा के आसपास से गुजरता है। चूंकि उक्त दोनों वनखण्ड रियासतकाल के आरक्षित वनखण्ड हैं। जिस कारण स्थल पर वनखण्ड सीमा की स्थिति स्पष्ट नहीं थी। इसके साथ-साथ निर्मित सड़क में आने वाले ग्रामों में उपरोक्त दोनों स्थलों के राजस्व खसरे मिसिल

	बन्दोवस्त वर्ष 1939-40 में निजी/शासकीय (गैर वन भूमि) के रूप में दर्ज थे। छायाप्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। मध्यप्रदेश शासन, मुख्य कार्यालय मंत्रालय भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक 230/सी.एस./04 दिनांक 24.07.2004 (छायाप्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है) से प्राप्त निर्देशों के पालन में राजस्व/वन विभाग द्वारा वन-राजस्व भूमि सीमा निर्धारण का कार्य प्रारंभ किया गया। जिसके अनुक्रम में वर्ष 2011 में राजस्व पटवारी मानचित्र पर वन सीमा अंकित कर वन सीमा का निर्धारण किया गया। जिसके पश्चात् उपरोक्त मार्ग का प्रस्तावित भाग राजस्व पटवारी मानचित्र के अनुसार वन सीमा के अन्दर होना पाया गया। उपरोक्त परिस्थिति के कारण तत्समय कार्यालय द्वारा मार्ग निर्माण के संबंध में आवेदक विभाग के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।
--	---

अतः प्रकरण में भारत सरकार द्वारा चाही गई जानकारी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित है।

संलग्न-उपरोक्तानुसार

(अंकित पाण्डेय)

वनमण्डलाधिकारी

सामान्य वनमण्डल ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 10/06/2024

पृ0 क्रमांक/मा.चि./24/3163

प्रतिलिपि -

1-अपर प्रधान मुख्य, वन संरक्षक (भू-प्रबंध), वन भवन, लंक रोड-2, तुलसी नगर, भोपाल की ओर आपके पत्र क्रमांक/एफ-5/1121/2022/10-11/1955 दिनांक 08.04.2024 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।

2-आवेदक विभाग, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ग्वालियर की ओर आपके पत्र क्रमांक/20019/01/2018-वेस्टर्न बायपास/13411 दिनांक 22.05.2024 के संदर्भ में सूचनार्थ।

वनमण्डलाधिकारी

सामान्य वनमण्डल ग्वालियर



सत्यमेव जयते

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई : डी-81, गोविन्दपुरी, सचिन तेन्दुलकर मार्ग, ग्वालियर (म. प्र.)-474011

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Project Implementation Unit : D-81, Govindpuri, Sachin Tendulkar Marg, Gwalior (M.P.)-474011

फोन/Phone : 0751-2231485, ई-मेल/E-mail : gwalior@nhai.org; nhaigwalior@gmail.com



BHARATMALA
ROAD TO PROSPERITY

File No. 20019/01/2018-Western Bypass/ 13411

Date 22.05.2024

To,

The Divisional Forest Officer-Gwalior
Central Nursery, near Captain Roop Singh Stadium
City Centre Gwalior (MP)
Email: dfotgwa@mp.gov.in

Sub: Preparation of Detailed Project Report for Construction of Bypass on Western Side of Gwalior City in the State of Madhya Pradesh - *Compliance to the Observations in the Forest clearance proposal (Proposal No. FP/MP/Road/149532/2021)-Reg.*

Ref.:

1. CCF, Gwalior letter no. 1631 dated 19.04.2024
2. MoEF&CC letter no.69018 dated 02.04.2024.

Sir,

This is in reference to the observation raised in the subject captioned proposal as per the REC meeting held on 12.03.2024 vide MoEF&CC letter dated 02.04.2024 and forwarded to this office vide CCF, Gwalior letter dated 19.04.2024.

2. The para wise compliance to the observations pertaining to this office raised by MoEF&CC is as under:-

Sr.No.	Observations	Reply
1	It is reported that the SADA (Special Area Development Authority) has constructed a part of road involving area of around 0.6 ha after 1980. The documentary evidence of construction of road shall be submitted.	The details were sought by this office from SADA, Gwalior vide letter dated 21.03.2024 with regards to Construction of the road by SADA. SADA Gwalior vide their letter dated 18.04.2024 has confirmed that the Construction of the existing road in the SADA Region was carried out by SADA, Gwalior in year 2002-2005. Copy of the letter is enclosed.

3. In view of the above, the compliance to the observations raised by MoEF&CC is being submitted herewith for kind consideration and further necessary action in the proposal. It is earnestly requested that an early action may please be taken in the matter, so that Forest Clearance is granted to NHAI and work of Western Bypass of Gwalior can be taken up at the earliest.

Encl: As above

Project Director
NHAI, PIU-Gwalior(M.P.)

Copy To:

1. PCCF(LM)- Bhopal for kind information and necessary action please.
2. NPCCF (LM)-Bhopal for kind information and necessary action please.
3. Regional Officer, NHAI, Jabalpur for kind information please.
4. CCF, Gwalior for kind information and necessary action please.



कार्यालय विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (माधवराव काउण्टर मैग्नेट)
शीतला सहाय प्रशासनिक भवन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, सीजना - तिघरा, ग्वालियर (म.प्र.)

कंमाक / विक्षेविप्र / 2024- / 152

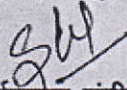
ग्वालियर दिनांक 18/04/2024

प्रति,

प्रोजेक्ट डायरेक्टर,
एन.एच.ए.आई. (पीआईयू),
ग्वालियर, म0 प्र0

विषय:- Existing सड़क की Construction detail बावत् ।
संदर्भ:- आपका पत्र /NHA/PIU-Gwl/2019/03/2018- Western bypass/12182 दिनांक 07.01.24 ।

विषयांतर्गत लेख है कि पश्चिमी बायपास सड़क के 0 किमी से 15.600 किमी तक साडा द्वारा वर्ष 2002 से 2005 के बीच निर्माण कार्य पूर्ण किया गया। उक्त सड़क में आने वाली निजी एवं शासकीय भूमि है। वन विभाग से कोई भूमि नहीं ली गयी। इसलिये वन विभाग की Clearance की आवश्यकता नहीं पड़ी। तदनुसार पश्चिमी बायपास के संबंध में चाही गयी जानकारी आपकी ओर अग्रेषित।


कार्यपालन यंत्री
साडा (काउण्टर मैग्नेट)
ग्वालियर

۱۰۰

[Faint handwritten notes and stamps are visible in the background.]

6118. 6116

खाभा

मिनालोका तहसील काँडे

作

वाचत

सम्वत् १९९५

[illegible]

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

5

12.50.06

[illegible]

महाविद्यालय कायम

[Handwritten signature]

100-000

क्र.सं.	खसरा नं.	सबका मालिक	नाम पक्ष या पट्टी	नाम मालिक	मालिक का पता	नाम कातदार बंधु, बहिन, कोमल, सख्त, तीरस, या मूल कात.	नाम किसी कातदार, बंधु, बहिन, कोमल, सख्त, तीरस, या मूल कात.	नाम कातदार का पता	नाम कातदार का पता	नाम कातदार का पता
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
२०	२१८	१५		रेमन्त बारी	२२५					
६२८	२२५	१५		महाल सर	२२५					
१५२८	२००	१५		महाल सर	२२५					
१५२०	२०३	१५		महाल सर	२२५					
१५३१	२०२	१५		महाल सर	२२५					
१५३२	२०५	१५		महाल सर	२२५					
१५३३	२०५	१५		महाल सर	२२५					
१५३४	२०२	१५		महाल सर	२२५					
२										

१५/५/२५
२०-०५-२५

क्र.सं.	खसरा नं.	सबका मालिक	नाम पक्ष या पट्टी	नाम मालिक	मालिक का पता	नाम कातदार बंधु, बहिन, कोमल, सख्त, तीरस, या मूल कात.	नाम किसी कातदार, बंधु, बहिन, कोमल, सख्त, तीरस, या मूल कात.	नाम कातदार का पता	नाम कातदार का पता	नाम कातदार का पता
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
२०	२१८	१५		रेमन्त बारी	२२५					
६२८	२२५	१५		महाल सर	२२५					
१५२८	२००	१५		महाल सर	२२५					
१५२०	२०३	१५		महाल सर	२२५					
१५३१	२०२	१५		महाल सर	२२५					
१५३२	२०५	१५		महाल सर	२२५					
१५३३	२०५	१५		महाल सर	२२५					
१५३४	२०२	१५		महाल सर	२२५					
२										

प्रासकीय कां. नं.

११

**मध्य प्रदेश शासन
मुख्य सचिव कार्यालय
मंत्रालय, भोपाल**

क्रमांक २३०/CS/04

भोपाल, दिनांक २४ जुलाई 2004

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
2. समस्त वनमंडलाधिकारी,
मध्यप्रदेश

विषय:- वन राजस्व भूमि का सीमांकन।

शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के समस्त जिलों में अगले 6 माह में अभियान चलाया जाकर वन-राजस्व भूमि सीमा निर्धारण अंतिम रूप से किया जाए। अतः आपसे अपेक्षा है कि जिले के क्षेत्रीय वन मंडलाधिकारी के साथ मिलकर एक कार्ययोजना बनाये जिसमें जिले के अंतर्गत जहां वन भूमि है, विवाद हो या न हो, राजस्व तथा वन विभाग की टीम संयुक्त रूप से उन स्थलों का निरीक्षण करे तथा दोनों विभाग अपने अपने अभिलेखों में स्थिति को अद्यतन करें तथा सीमा का निर्धारण करें। वन राजस्व सीमा निर्धारण के समय निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखा जाये:-

- (1) म.प्र. वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 के अंतर्गत ग्रामवार जिन खसरा नंबरों का अंशतः या पूर्ण भाग आरक्षित या संरक्षित वन घोषित करने के उद्देश्य से अधिसूचित किया गया है, क्या उनमें आरक्षित या संरक्षित वन के नोटिफिकेशन की कार्यवाही पूर्ण हो गई है ?

(क) यदि हाँ तो धारा 4 के अंतर्गत शेष बचे खसरा नंबरों को राजस्व विभाग को हस्तांतरित करने की अधिसूचना प्रस्ताव यथाशीघ्र तैयार किया जाकर अधिसूचना जारी की जाये एवं तदनुसार वन राजस्व विभाग के अभिलेखों में सीमा संशोधन करे।

(ख) यदि नहीं तो वन अधिनियम, 1927 के प्रावधानों के अनुसार आरक्षित वन/संरक्षित वन घोषित करने की कार्यवाही पूर्ण की जाये तथा शेष बची भूमि को राजस्व विभाग को हस्तांतरित कर तदनुसार वन तथा राजस्व के अभिलेखों व नक्शों को संशोधित किया जाए।

- (2) विवादित ऑरेंज एरिया जिसका नोटिफिकेशन विधिवत् आरक्षित/संरक्षित वन के लिये नहीं हो सका है, में भी वन अधिनियम, 1927 के प्रावधानों के अनुसार आरक्षित/संरक्षित वन घोषित करने के लिये अधिसूचना जारी कराएं व शेष क्षेत्र को राजस्व विभाग को हस्तांतरित करने की अधिसूचना जारी करायी जाये। तदुपरांत वन व राजस्व विभाग के अभिलेखों व नक्शों को संशोधित करें।
- (3) वन विभाग द्वारा समय-समय पर विभिन्न अधिसूचनाओं द्वारा वन क्षेत्रों को राजस्व विभाग को हस्तांतरित किया गया है। (यथा अधिसूचना क्रमांक 3788-दस-2-75 दिनांक 25 अगस्त, 1975 जो मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 19.12.1975 में प्रकाशित है) उक्त अधिसूचनाओं के अनुरूप वन तथा राजस्व विभाग के अभिलेखों व नक्शों को संशोधित करें।
- (4) वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत भारत सरकार से अनुमति प्राप्त कर दिनांक 31.12.1976 तक की 85,250.71 हेक्टेयर अतिक्रमित भूमि पात्र अतिक्रमकों को व्यवस्थापित की गई थी। इन अभिलेखों का भी परीक्षण कर राजस्व तथा वन विभाग के अभिलेखों व नक्शों को संशोधित करें।
- (5) उपरोक्तानुसार ही यदि अन्य प्रकरणों में भी वन तथा राजस्व विभाग द्वारा एक दूसरे को भूमियों का हस्तांतरण हुआ है, तो इन समस्त प्रकरणों के परीक्षणों उपरांत ही संबंधित ग्राम के राजस्व नक्शों में (मूल बंदोबस्त नक्शों की अनुरेखित प्रति में) वन राजस्व सीमा लाइन अंकित की जाय।
- (6) उपरोक्तानुसार तैयार ग्राम नक्शा मूलतः दो प्रतियों में तैयार कर उसका प्रमाणीकरण दोनों विभाग के अधिकृत अधिकारी संयुक्त रूप से पद मुद्रा सील सहित करें। यह नक्शा दो प्रतियों में तैयार किया जाय जिसकी एक-एक प्रति दोनों विभाग के जिला अभिलेखागार में सुरक्षित रखी जाय। इन्हीं नक्शों के आधार पर पटवारी के चालू नक्शों में भी संशोधित कर प्रमाणीकरण कर लिया जाए।
- (7) वन क्षेत्र में उत्खनन लीज का नवीनीकरण कराया जाना कोई वेष्टित अधिकार नहीं है। यदि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों का उलंघन हो रहा है, तो ऐसे प्रकरणों में उत्खनन लीज का नवीनीकरण नहीं किया जाय।

2/ इस कार्य के लिये समस्त कलेक्टर अपने जिले के एक उप जिलाध्यक्ष को नामांकित करें जो कि क्षेत्रीय वन मंडलाधिकारी के साथ मिलकर इस कार्य को गति देंगे। जिले की कार्य योजना उपरोक्त कडिका-1 में चिह्नित किये गये बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुये तैयार की जाये, साथ ही योजना को क्रियान्वित करने के लिये दोनों विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण किये जाये।

3/

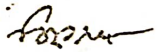
आप निम्न जानकारी प्रमुख सचिव, वन एवं राजस्व को एक सप्ताह के अंदर भेजें:-

- (1) जिले में नामांकित उप जिलाध्यक्ष का नाम, दूरभाष क्रमांक (निवास एवं कार्यालय)
- (2) वन मंडलवार योजना तैयार करने का दिनांक, योजना की कार्यवधि तथा योजना के क्रियान्वयन के लिये गठित किये गये दलों की संख्या।

4/ योजना के अनुसार कार्य प्रारंभ किया जाये तथा प्रत्येक माह के प्रगति प्रतिवेदन से निर्धारित संलग्न प्रारूप में प्रमुख सचिव, वन एवं राजस्व को अवगत करावेंगे, जो संकलित प्रतिवेदन मुझे प्रस्तुत करेंगे। समस्त जिले से कार्यवाही पूर्ण होने पर जिला कलेक्टर तथा वन मंडलाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षर से यह प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाएगा कि-

- (1) जिलों में वन और राजस्व भूमि का सीमांकन हो गया है;
- (2) दोनों विभागों की भूमि का अंतरण हो गया है;
- (3) भूमियों के मध्य सीमांकन चिन्ह स्थापित कर दिये गये हैं; एवं
- (4) भूमि अंतरण के संबंध में समस्त वैधानिक कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है और आवश्यक अधिसूचनाएं आदि जारी हो चुकी हैं।

प्रत्येक जिला कलेक्टर और वन मंडलाधिकारी सीमांकन के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाये, नियमित रूप से उसकी समीक्षा करें एवं प्रगति से अवगत कराये। राज्य स्तर पर प्रमुख सचिव, वन और प्रमुख सचिव, राजस्व संयुक्त रूप से मॉनिटरिंग करें एवं जिस जिले से लगातार 2 माह तक कार्यवाही अधूरी रहे उन संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करें।

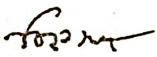

(बी.के.साहा)
मुख्य सचिव

पृ.क्रमांक 231/cs/04

भोपाल, दिनांक 24 जुलाई 2004

प्रतिलिपि:-

प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन राजस्व/ वन विभाग की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


मुख्य सचिव

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग

11

कमांक एफ/25/83/2004/10-3
प्रति,

भोपाल, दिनांक 18-10-05

समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त वन मण्डलाधिकारी,
मध्य प्रदेश।

विषय:- वन राजस्व भूमि का सीमांकन।

संदर्भ:- मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन का पत्र कमांक/230/सी.एस./04/दिनांक 24-7-2004।

उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र द्वारा वन राजस्व भूमियों के सीमांकन के विषय में विस्तृत निर्देश जारी करते हुए निर्धारित प्रपत्र में प्रतिवेदन प्रेषित करने के निर्देश दिये गये हैं। इस पत्र द्वारा जारी किये गये निर्देशों के पालन की समीक्षा करने पर पाया गया कि सभी जिलों से निर्धारित प्रपत्र में प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तथा अनेक जिलों के लिए वन एवं राजस्व विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों में भिन्नाता है।

2/ अतः यह निर्णय लिया गया है कि कलेक्टर एवं वन मण्डलाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से निर्धारित प्रपत्र में प्रतिमाह प्रतिवेदन तैयार कर मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग तथा वन विभाग, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश भोपाल एवं आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, ग्वालियर को भेजा जावेगा। प्रत्येक माह का प्रतिवेदन उसके आगामी माह की 12 तारीख तक सर्व संबंधित को भेजा जाना सुनिश्चित करें।

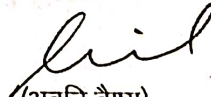
3/ कृपया संदर्भित पत्र में निर्देशित कार्यवाही को निश्चित समय-सीमा में पूर्ण करावें एवं प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में उपरोक्त निर्णय के अनुसार संयुक्त हस्ताक्षर कर भेजा जाना सुनिश्चित करें।

4/ प्रस्तावित कार्यवाही की प्रगति की समीक्षा करने पर कार्य में आ रही कठिनाईयों के निराकरण हेतु विस्तृत टीप संलग्न है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार


(इकबाल अहमद)

प्रमुख सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
राजस्व विभाग


(अवनि वैश्य)

प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
वन विभाग

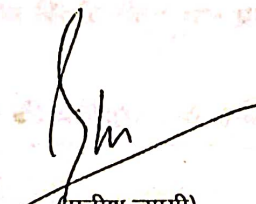
पृ0 कमांक एफ/25/83/2004/10-3

भोपाल, दिनांक 18-10-2005

प्रति, भूमि-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्य प्रदेश, भोपाल।
2. आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, ग्वालियर, मध्य प्रदेश।
3. समस्त संभाग आयुक्त, मध्य प्रदेश।
4. समस्त वन संरक्षक, मध्य प्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।


(सतीश त्यागी)

अपर सचिव,
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

यंत आवश्यक

18/10/05
25/83/2004/10-3

2927
25-10-05

वन-राजस्व भूमि सीमांकनविधिक प्रावधान:-

- वन-राजस्व भूमि सीमांकन/सर्वेक्षण के पूर्व मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 के प्रावधानों के अंतर्गत भूमि, भूमि में निहित राज्य शासन के अधिकारों तथा भू-अभिलेखों में की प्रविष्टियों के बारे में सुनिश्चित उपधारणा को दृष्टिगत किया जाना आवश्यक होगा। इन्हीं के साथ वन विभाग के अभिलेखों को भी आवश्यक महत्व दिया जायेगा।
- मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 57 (1) में यह स्पष्ट उल्लेख है कि समस्त भूमियां राज्य सरकार की हैं, तथा तदनुसार ही इस धारा में यह भी घोषित किया गया है कि समस्त ऐसी भूमियां जिसके अंतर्गत रुका हुआ धन तथा बहता हुआ पानी, खानें, खदानें, खनिज तथा वन चाहे वे आरक्षित हों या न हों तथा किसी भूमि की अधोमृदा में के समस्त अधिकार, राज्य सरकार की संपत्ति है।
- मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 117 में यह उल्लेख है कि भू-अभिलेखों में की गई समस्त प्रविष्टियों के बारे में यह उपधारणा है कि वे सही है जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए। इसी संदर्भ में वन विभाग के अभिलेखों में वन के रूप में दर्ज भूमियों को यथा स्थिति न्यायलयीन निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में मान्यता दी जायेगी।
- उक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में राजस्व नक्शे में वन सीमा लाइन का अंकन करने के पूर्व वन विभाग के नक्शे में दर्शाए गए वन खण्डों की सीमाओं के संबंध में प्रमाणिक दस्तावेज अर्थात् गजट नोटिफिकेशन का होना चाहिए। सभी वन क्षेत्रों के प्रमाणित दस्तावेज अर्थात् गजट नोटिफिकेशन उपलब्ध कराया जाना एक बहुत बड़ा कार्य है। अतः जिन वन क्षेत्रों के विषय में राजस्व विभाग एवं वन विभाग के मध्य में विवाद/असहमति हो ऐसे ही वनखंडों के नोटिफिकेशन प्राप्त कर कार्यवाही की जाये तो यह कार्य कम समय में किया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में जहां अधिसूचना ब्लैकट रूप में है, वहां अन्य अभिलेखों को भी आधार अभिलेख मान्य किया जाना चाहिये।
- भारतीय वन अधिनियम 1927 में मुख्यतः दो प्रकार के वनों का उल्लेख है:-
 - आरक्षित वन (Reserved forest)
 - संरक्षित वन (Protected forest)
- भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 3 एवं 20 के प्रावधानों के अंतर्गत किसी प्रस्तावित वन क्षेत्र वेस्ट लैण्ड (शासकीय भूमि) को आरक्षित वन घोषित करती है।
- आरक्षित वन क्षेत्र घोषित करने के लिये वन क्षेत्र अधिनियम 1927 की धारा 4 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्तावित वन क्षेत्र की अधिसूचना जारी की जाती है। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2, भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचित प्रस्तावित वन क्षेत्र को भी वन मान्य करती है।
- भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के प्रावधानों के अंतर्गत संरक्षित वन की अधिसूचना जारी की जाती है।
- उक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में किसी भी ग्राम के नक्शे (राजस्व नक्शे) में यथा स्थिति निम्न चार प्रकार की वन सीमा लाइन अंकित की जाए:-
 - आरक्षित वन सीमा लाइन (भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 20 की अधिसूचना के आधार पर) - नीले रंग से

- संरक्षित वन सीमा लाइन (भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 की अधिसूचना के आधार पर) - हरे रंग से
- प्रस्तावित वन सीमा लाइन (भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 की अधिसूचना के आधार पर) - लाल रंग से
- अन्य वन क्षेत्र (नारंगी क्षेत्र व अन्य परिभाषित वन आदि) - नारंगी रंग से

राजस्व नक्शों में उपरोक्तानुसार वन सीमा लाइन का अंकन एक समय-सीमा में किया जा सके इसके लिए वन विभाग द्वारा प्रत्येक जिले में स्थिति वन-खण्डों/ वन क्षेत्रों की अधिसूचनाओं को संकलित कर लिया जाय तथा इसकी एक प्रति कलेक्टर को उपलब्ध करायी जाय। साथ ही वन विभाग द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 34 (अ) के प्रावधानों के अंतर्गत जिन वन क्षेत्रों को आगे 'वन क्षेत्र' नहीं रहने संबंधी अधिसूचनाएँ जारी की गयी हैं, को भी संकलित कर इसकी एक प्रति संबंधित कलेक्टरों को उपलब्ध करायी जाय। ताकि तदनुसार राजस्व अभिलेखों को संशोधित किया जा सके। हालाँकि इस संबंध में आयुक्त भू-अभिलेख कार्यालय द्वारा मध्य प्रदेश शासन वन विभाग द्वारा वन अधिनियम 1927 की धारा 32 (अ) के प्रावधानों के अन्तर्गत जारी अधिसूचनाओं की प्रति संबंधित कलेक्टरों को विधि एवं प्रक्रियानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराया गया है।

धारा-34 (अ) की अधिसूचनाओं के आधार पर यह स्थिति भी ज्ञात किया जाना चाहिये कि इन अधिसूचनाओं के माध्यम से निर्वनीकृत किये हुए कितने क्षेत्र राजस्व विभाग को अंतरित हो गये हैं, कितने क्षेत्र अंतरण हेतु शेष हैं तथा कितने क्षेत्र अंतरण के पूर्व धारा-4 में अधिसूचित हो गये हैं। इन अधिसूचनाओं के आधार पर आज की स्थिति में निर्वनीकृत वन भूमि के अंतरण की कार्यवाही आगामी निर्देश तक नहीं की जायेगी।

इस जानकारी के आधार पर अलग-अलग जिलों में हुई अलग-अलग कार्यवाही एवं जमीनी स्थिति के अनुसार वैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में परीक्षण कर राज्य शासन स्तर से अग्रिम कार्यवाही के निर्देश जारी करने की कार्यवाही की जायेगी। इस हेतु जिलाध्यक्ष तथा वन मंडलाधिकारी से संयुक्त हस्ताक्षरित प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्णय राज्य शासन स्तर पर किया जायेगा।

वन-राजस्व सीमा विवाद निराकरण हेतु विधिक प्रावधान:-

- भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्तावित वन से संरक्षित वन घोषित करने तक की विधिक प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के लिए "वन व्यवस्थापन अधिकारी" नियुक्त करने का प्रावधान है। राज्य शासन द्वारा इन्हीं शक्तियों का प्रयोग करते हुए सन् 1988 से प्रदेश के समस्त अनुविभागीय अधिकारियों (राजस्व) को "वन व्यवस्थापन अधिकारी" के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है।
- भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 17 में यह उल्लेख है कि 'वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील राजस्व विभाग के कलेक्टर से अनिवार्य पंक्ति के ऐसे अधिकारी के समक्ष हो सकेगा जिसे राज्य सरकार ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील की सुनवाई के लिये राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त करें।' राज्य शासन द्वारा इन शक्तियों का प्रयोग करते हुये अधिसूचना क्रमांक 10287-3769-10-64 जो मध्य प्रदेश राजपत्र भाग-1 दिनांक 20.11.64 पृष्ठ 2765 में प्रकाशित है, द्वारा जिलाध्यक्षों/कलेक्टरों को अपने क्षेत्रान्तर्गत अपील सुनने के लिए प्राधिकृत किया गया है।
- शासन स्तर पर सुनिश्चित किया जावे कि वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत अधिसूचित ऐसे समस्त प्रस्तावित वन क्षेत्र जिनमें आरक्षित/संरक्षित वन क्षेत्र घोषित की कार्यवाही प्रचलित है वह कार्यवाही अधिकतम तीन माह की समय सीमा में पूर्ण कराई जावे।

(4)

आरक्षित वन / संरक्षित वन घोषित करने के पश्चात् भी अधिसूचित प्रस्तावित वन क्षेत्र शेष बचता है, तो ऐसी समस्त भूमियों को वन की परिभाषा में मुक्त करने का प्रस्ताव वन विभाग द्वारा तैयार किया जाकर राज्य शासन के माध्यम से केन्द्र शासन को प्रेषित किया जाए। केन्द्र शासन की स्वीकृति उपरान्त ऐसी भूमियों की प्रविष्टि राजस्व अभिलेख में की जाए।

- वन व्यवस्थापन अधिकारियों को वन विभाग की और समस्त जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सम्बन्धित क्षेत्र के वन परिक्षेत्र अधिकांशी (क्षेत्रीय) को नोडल अधिकारी बनाया जाए तथा राजस्व विभाग की ओर से समस्त जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सम्बन्धित तहसीलदार को नोडल अधिकारी बनाया जाए।
- राजस्व नक्शे में वन राजस्व सीमा लाइन निर्धारण पश्चात् वन क्षेत्र के अन्दर पाए जाने वाले समस्त कृषि पट्टे, आवासीय पट्टे तथा उत्खनन पट्टे तत्काल सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त किया जाए।
- वन-राजस्व सीमा विवाद निराकरण में "वन व्यवस्थापन अधिकारी" तथा "वन व्यवस्थापन अधिकारी के अपीलीय अधिकारी" को तकनीकी मार्गदर्शन हेतु संबंधित क्षेत्रीय संभाग आयुक्त, मुख्य वन संरक्षक(भू-सर्वेक्षण/भू-प्रबंधन) तथा आयुक्त भू-अभिलेख सहित तीन सदस्यीय एक समिति का गठन किया जा सकता है जो आवश्यक पड़ने पर समस्त अधिकारी/प्रक्रिया में तकनीकी मार्गदर्शन/सुझाव दे सकेगी।

वन-राजस्व सीमा विवाद निराकरण व्यवहारिक कार्यवाही:-

वन खण्डों की अधिसूचना की जानकारी:-

- वन विभाग द्वारा जिलेवार यह जानकारी वन खण्डवार तैयार की जाय कि भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्रावधानों के अनुसार ग्रामवारा/खसरावार किन-किन क्षेत्रों को वन के अन्तर्गत अधिसूचित किया गया है। इनमें से कितने क्षेत्र को आरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किया गया है तथा कितना क्षेत्र अभी प्रस्तावित वन क्षेत्र के रूप में शेष रह गया है। शेष कितना क्षेत्र वन अधिनियम 1927 की धारा 34 (अ) के प्रावधानों के अंतर्गत वन क्षेत्र से पृथक कर दिया गया है।
- सर्व प्रथम वन विभाग एवं राजस्व विभाग के अभिलेखों के अनुसार भिन्नता वाले वन क्षेत्रों के लिए निम्न प्रपत्र में जानकारी वन विभाग द्वारा तैयार राजस्व विभाग को उपलब्ध कराये जिससे कि उसके अनुसार अग्रिम कार्यवाही हो सके।

(अ) आरक्षित वन खण्ड जिनके खसरा कमांक उपलब्ध नहीं है

आरक्षित वनखण्ड का नाम	सीमा से लगे ग्राम	तहसील	अधिसूचना का कमांक	अधिसूचित क्षेत्रफल	सीमा का विवरण
1	2	3	4	5	6

(ब) आरक्षित एवं संरक्षित वनखण्ड जिनके खसरा कमांक उपलब्ध है

वनखण्ड का नाम	आरक्षित/संरक्षित	सम्मिलित ग्राम का नाम	तहसील	खसरा कमांक	खसरे का कुल क्षेत्रफल	वनखण्ड में शामिल क्षेत्रफल	वनखण्ड के बाहर किया गया क्षेत्र	
1	2	3	4	5	6	7	खसरा क.	क्षेत्रफल
							8	9

- उपरोक्तानुसार तैयार जानकारी के आधार पर राजस्व विभाग अपने नक्शे को अद्यतन करें।
- जिन वन खण्डों में आरक्षित या संरक्षित वन अधिसूचित करने की कार्यवाही पूर्ण नहीं की गई है, वहां वन अधिनियम 1927 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही वन विभाग द्वारा पूर्ण कराई जाए तथा वन खण्डवार अभिलेख एवं नक्शों तैयार किया जाए।

वन-राजस्व भूमि सीमांकन कार्य की कार्य योजना :-

- विषयांकित प्रकरण में ही कार्यालय मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी पत्र दिनांक 24-07-2004 की कंडिका-एक में उल्लेखित बिन्दुओं उक्त वर्णित तथ्यों तथा अन्य संबंधित क्षेत्रीय समस्याओं का अवलोकन करते हुए प्रत्येक जिले की कार्य योजना तैयार की जाय। कार्य योजना की एक-एक प्रति मध्यप्रदेश शासन वन/राजस्व विभाग तथा एक प्रति आयुक्त भू-अभिलेख को प्रेषित किया जाय।
- कार्य योजना में ही संयुक्त सर्वेक्षण दल, वन व्यवस्थापन अधिकारियों का भी विवरण दिया जाय।

राजस्व नक्शों में वन सीमा लाइन का अंकन:-

- जिन वर्षों में किसी ग्राम की भूमि का प्रस्तावित वन, आरक्षित वन या संरक्षित वन क्षेत्र की अधिसूचना जारी हुई है, उन वर्षों के पटवारी नक्शों पर या उन वर्षों के पटवारी नक्शों जिस बन्दोबस्त वर्ष के दौरान तैयार किये गए हैं, उस बन्दोबस्त नक्शों की अनुरेखित प्रति पर कार्यालय में ही वन सीमा लाइन का अंकन कार्य कर लिया जाय। जैसा कि उपर की कंडिकाओं में उल्लेख किया गया है कि ग्रामवार तथा स्थिति निम्न चार प्रकार की वन सीमा लाइन अंकित की जाएगी :-
 - प्रस्तावित वन सीमा लाइन (वन अधिनियम 1927 की धारा 4 के प्रावधानों के अंतर्गत जारी अधिसूचना के आधार पर)
 - आरक्षित वन सीमा लाइन (वन अधिनियम 1927 की धारा 20 के प्रावधानों के अंतर्गत जारी अधिसूचना के आधार पर)
 - संरक्षित वन सीमा लाइन (वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के प्रावधानों के अंतर्गत जारी अधिसूचना के आधार पर)
 - अन्य वन क्षेत्र (नारंगी क्षेत्र, परिभाषित वन, आदि)

वन-राजस्व भूमि का सीमांकन तथा वन-राजस्व अभिलेखों का संधारण:-

- उपरोक्तानुसार राजस्व नक्शे में वन-राजस्व सीमा लाइन अंकन के पश्चात स्थल सर्वेक्षण/ सीमांकन कर स्थल पर वन सीमा लाइन का निर्धारण किया जाय।
- स्थल पर वन-राजस्व सीमा लाइन निर्धारण पश्चात मुनारों का निर्माण तथा वन एवं राजस्व नक्शों में इनका प्रतिस्थापन।

उपरोक्तानुसार संधारित राजस्व नक्शे का वन विभाग तथा राजस्व विभाग के संयुक्त सर्वेक्षण दल के प्रभारी जो क्रमशः रेंजर तथा तहसीलदार स्तर से निम्न स्तर के नहीं होंगे, द्वारा प्रमाणित किया जावेगा जिसका अभिप्रमाणन वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

- उक्त राजस्व नक्शे दो प्रतियों में तैयार करायी जायेगी जो उपरोक्तानुसार ही प्रमाणित/ अभिप्रमाणित की जायेगी। इसकी एक प्रति जिला अभिलेखागार तथा दूसरी प्रति वन विभाग के अभिलेखागार में रखी जायेगी।
- उक्त राजस्व नक्शे के आधार पर ही चालू पटवारी नक्शे में भी वन सीमा लाइन का अंकन किया जाकर उपरोक्तानुसार ही प्रमाणित किया जायेगा।
- ग्राम नक्शे में वन सीमा लाइन निर्धारण के पश्चात वन सीमा लाइन के अंदर पाये जाने वाले समस्त कृषि पट्टे, उत्खनन पट्टे तथा आवासीय पट्टों को विधि एवं प्रक्रियानुसार तत्काल निरस्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
- ग्रामवार भूध्व प्रदेश शासन वन विभाग के नाम से पृथक अधिकार अभिलेख भी संधारित की जाय जो संबंधित वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा प्रमाणित होगी। इसके आधार पर चालू वर्ष के खसरा में वन विभाग से संबंधित भूमियों की खसरा नंबरवार प्रविष्टि की जाय तथा तदनुसार बी-1 भी संधारित की जाय।
- राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य से वन सीमा लाइन के अंदर किसी भी प्रकार के पट्टों का बंटन न किया जाय।

संयुक्त सर्वेक्षण दलों का गठन:-

- वन-राजस्व सीमा विवाद निराकरण की समस्त कार्यवाही पूर्ण करने के लिए प्रत्येक जिले में आवश्यकतानुसार एक या दो दस सदस्यीय दल का गठन किया जाय जिसमें वन तथा राजस्व विभाग के 5-5 कर्मचारी होंगे। प्रत्येक दल में राजस्व विभाग के 4 राजस्व निरीक्षक, एक अनुरेखक तथा वन विभाग से 4 सहायक वन क्षेत्राधिकारी एवं एक मानचित्रकार/ अनुरेखक रहेंगे। इसके अतिरिक्त इस दल में संबंधित ग्राम का पटवारी तथा संबंधित वन क्षेत्र का बीट गार्ड भी सहयोग के लिए रहेंगे।
- राजस्व विभाग की ओर से दल का नेतृत्व अधीक्षक भू-अभिलेख/ सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख स्तर के अधिकारी करेंगे तथा वन विभाग की ओर से संबंधित वन खण्ड/ वन परिक्षेत्र के रेंजर स्तर के अधिकारी करेंगे।
- सर्वेक्षण दल/ सर्वेक्षण/ सीमांकन की प्रक्रिया में उपरोक्त वर्णित कण्डिकाओं के अनुसार या क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप विधि एवं प्रक्रियानुसार जो भी आवश्यक अभिलेख तथा नक्शा तैयार करेगा उसका अभिप्रमाणन संबंधित वन व्यवस्थापन द्वारा किया जायेगा।
- प्रत्येक जिले में वन राजस्व क्षेत्र सीमांकन/ सर्वेक्षण की कार्यवाही कलेक्टर एवं वन मंडलाधिकारी के संयुक्त पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण एवं नियंत्रण में कार्य करेगा।

(1)

कार्य प्रगति की समीक्षा:-

- प्ररनाधीन कार्य की समीक्षा जिला स्तर पर प्रति माह संयुक्त रूप से कलेक्टर एवं वन मण्डलाधिकारी द्वारा किया जाय तथा शासन द्वारा निर्धारित प्रगति पत्रक प्रारूप में प्रति माह की कार्य प्रगति की एक प्रति संभागीय आयुक्त तथा आयुक्त भू-अभिलेख को प्रेषित की जाय।
- संभागीय आयुक्त तथा मुख्य वन संरक्षक द्वारा उनके क्षेत्रान्तर्गत रागरस जिलों के कार्य प्रगति की समीक्षा भी प्रति माह की जाय तथा कार्य प्रगति की एक-एक प्रति प्रमुख सचिव, वन/ राजस्व तथा आयुक्त भू-अभिलेख को प्रेषित की जाय।
- उपरोक्तनुसार प्राप्त जानकारी के आधार पर आयुक्त भू-अभिलेख द्वारा प्रदेश की कार्य प्रगति संकलित की जाकर शासन को प्रति माह प्रेषित की जायेगी।

वन-राजस्व भूमि सीमांकन प्रतिवेदन:-

- वन-राजस्व भूमि सीमांकन की सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर लिये जाने के उपरान्त इस संबंध में एक तथ्यात्मक प्रतिवेदन जिसमें जिले का सम्पूर्ण वन क्षेत्रों का संक्षिप्त विवरण, भूमि सीमांकन तथा विवादों के निराकरण के संबंध में की गई कार्यवाही के विवरण समाहित हों, कलेक्टर/ वन मण्डलाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से तैयार किया जाय। उक्त प्रतिवेदन की एक-एक प्रति संबंधित जिलों में, एक-एक प्रति संभागीय स्तर कार्यालयों, एक प्रति आयुक्त भू-अभिलेख कार्यालय तथा एक-एक प्रति वन तथा राजस्व विभाग में रखी जाय।

आयुक्त

भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त

मध्य प्रदेश